

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

आदेश

संचिका संख्या-17/विविध 01-217/2026-

पटना, दिनांक- / /2026

डॉ० अंकित, चिकित्सा पदाधिकारी (बॉण्ड), सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, राजपुर, बक्सर को IGIMS, Patna से सीनियर रेजिडेन्सी/ट्यूटरशिप करने हेतु विभागीय आदेश संख्या-1092(17) दिनांक-04.10.2025 में निहित शर्तों के अधीन अनापत्ति प्रमाण-पत्र इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि चयन नहीं होने अथवा चयनोपरान्त टेन्थोर अवधि पूर्ण करने के तत्काल बाद अनिवार्य बॉण्ड सेवा पूर्ण करेंगे।

2. संबंधित चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल के प्राचार्य/अधीक्षक विभागीय आदेश सं०-105(17), दिनांक-22.01.2026 के आलोक में संबंधित बंध पत्र से आच्छादित चिकित्सकों/छात्रों से विधिवत शपथ-पत्र प्राप्त कर आवश्यक कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे।

3. बंध पत्र से आच्छादित चिकित्सक विभागीय आदेश सं०-178(17), दिनांक-07.02.2026 के आलोक में उच्चतर अध्ययनोपरान्त/टेन्थोर अवधि पूर्ण करने के उपरान्त स्वास्थ्य विभाग (मुख्यालय) में योगदान करेंगे।

4. उक्त में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-

(रेणु कुमारी)

विशेष कार्य पदाधिकारी

-सह-

संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक :-17/विविध 01-217/2026-- 1163(17) पटना, दिनांक :- 11/09/2026

प्रतिलिपि:- महालेखाकार (ले० एवं ह०) का कार्यालय, बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी वित्त (पें०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

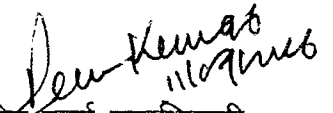
प्रतिलिपि -- संबंधित बंध पत्र से आच्छादित चिकित्सक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि - असैनिक शल्य चिकित्सक सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, बक्सर तथा प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, राजपुर, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- संबंधित प्राचार्य/अधीक्षक, राज्य के राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- सचिव, स्वास्थ्य के प्रधान आप्त सचिव/विशेष सचिव, स्वास्थ्य के निजी सहायक/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-02, 03 एवं 09 स्वास्थ्य विभाग को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- आई० टी० मैनेजर/प्रोग्रामर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को वेबसाइट पर प्रकाशन हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


विशेष कार्य पदाधिकारी

-सह-

संयुक्त सचिव।